



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112020-222931
CG-DL-E-03112020-222931

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3507]
No. 3507]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 3, 2020/ कार्तिक 12, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 3, 2020/KARTIKA 12, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2020

का.आ. 3971(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. S.O. 4392(E) Dt.12.07.2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पुडुचेरी राज्य के पुडुचेरी जिले में NH45A के कि.मी. 29 से कि.मी. 67 (सेकंड फ्लोर, डिप्टी कलेक्टर रेवेनुए साउथ ऑफिस, विल्लिअनुर, पुडुचेरी) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "द न्यू इंडियन एक्सप्रेस" को "दैनिक धन्यवाद" और "08.08.2020" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

पुडुचेरी राज्य के पुडुचेरी जिले में NH45A के कि.मी. 29 से कि.मी. 67 (सेकंड फ्लोर, डिप्टी कलेक्टर रेवेनुए साउथ ऑफिस, विल्लिअनुर, पुडुचेरी) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: पुडुचेरी		जिले का नाम: पुडुचेरी			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बहोर				
	गांव का नाम: बाहौर				
1	300/2A/1	निजी	वेट	0.0092	छिन्नसमय अय्यर सन ऑफ वीथियनाथा अय्यर (३०० २अ १ब)
2	301/1A/1	निजी	वेट	0.0697	एब्दुल खादर सन ऑफ हाजी मोहमद हनीफ (३०१ १अ १ब)
3	301/2A/1	निजी	वेट	0.0395	वाचला वाइफ ऑफ अरीकृष्णन (३०१ २अ १ब)
4	302/1A	निजी	वेट	0.0491	१. महालिंगम सन ऑफ वीथियनाथा पत्थर २. सरसु वाइफ ऑफ महालिंगम (३०२ १अ २)
5	302/2A	निजी	वेट	0.0964	धनुसू सन ऑफ रसप्पां (३०२ २अ २)
6	303/3A	निजी	वेट	0.0128	१. हाजी मोहमदु सुल्तान सन ऑफ कुलम खादर साइबू २. गुरुनाथन सन ऑफ महालिंगा पत्थर ३. बवाली अलियास विजया वाइफ ऑफ विनयगम ४. सुब्रमनियन सन ऑफ महालिंगा पत्थर ५. वेदनायेगी वाइफ ऑफ पैहानी ६. पचैयप्पन सन ऑफ गम्बरं (३०३ ३अ २)
			कुल	0.2767	

[फा. सं. NHAI/11013/2011-LA/Notif./PIU-Villupuram/2013/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd November, 2020

S.O. 3971(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O.4392(E) dated 12.07.2019, published in the Gazette of India, Extraordinary No.3947, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH45A on the stretch of land from Km. 29 to Km. 67 (Second floor, Deputy Collector Revenue South Office, Villianu, Puducherry) in the district of PUDUCHERRY in the State of PONDICHERRY;

And whereas the substance of the said notification has been published in “The New Indian Express” and “Dailythanthi” both dated 08.08.2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH45A in the stretch of land from Km. 29 to Km. 67 (Second floor, Sub/Deputy Collector Revenue South Office, Villianur, Puducherry) in the district of PUDUCHERRY in the State of PONDICHERRY

State: PONDICHERRY			District: PUDUCHERRY		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Bahour				
	Village: Bahour				
1	300/2A/1	Private	Wet	0.0092	Chinnasamy Iyer Son of Vaithiyanatha Iyer 300/2A/1B
2	301/1A/1	Private	Wet	0.0697	Abdul Khadar Son of Haaji Mohamed Hanif 301/1A/1B
3	301/2A/1	Private	Wet	0.0395	Vachala Wife of Arikrishnan 301/2A/1B
4	302/1A	Private	Wet	0.0491	1. Mahalingam Son of Vaithiyanatha Pathar, 2. Sarasu Wife of Mahalingam 302/1A/2
5	302/2A	Private	Wet	0.0964	Dhanusu Son of Irusappan 302/2A/2

6	303/3A	Private	Wet	0.0128	1. Haji Mohamadu Sultan Son of Kulam Khadar Saibu 2. Gurunathan Son of Mahalinga Pathar 3. Inbavalli alias Vijaya Wife of Vinayagam 4. Subramanian Son of Mahalinga Pathar 5. Vedanayagi Wife of Pazhani 6. Pachaiaappan Son of Egambaram 303/3A/2
			TOTAL	0.2767	

[F. No. NHAI/11013/2011-LA/Notif./PIU-Villupuram/2013/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.